<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>13.11.2024</u>

ईडी, चेन्नई ने जाफर सादिक और अन्य के मामले में माननीय **XIII** अतिरिक्त सीबीआई कोर्ट, चेन्नई के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत **10/09/2024** को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। उक्त पीसी में कुल **20** व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है। माननीय न्यायालय ने **18/10/2024** को पीसी का संज्ञान लिया है।

जाफर सादिक अब्दुल रहमान पर अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी गिरोह के पीछे मास्टरमाइंड होने का आरोप है। उसकी संलिप्तता में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में स्यूडोएफ़ेड्रिन की तस्करी करना शामिल है, जिसे स्वास्थ्य-मिश्रण पाउडर और सूखे नारियल के रूप में छिपाया जाता है। उसने फिल्म निर्माण, रियल एस्टेट अधिग्रहण, लॉजिस्टिक्स मोर्चों और आतिथ्य व्यवसाय के माध्यम से अपराध की आय (पीओसी) को लूटा है। ईडी ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत उल्लंघन के लिए सीमा शुल्क और एनसीबी, नई दिल्ली द्वारा की गई जांच के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद जाफर सादिक और अन्य के मामले में पीएमएलए के तहत चेन्नई, त्रिची और मदुरै में 15 परिसरों पर तलाशी कार्रवाई की गई और तलाशी की कार्यवाही के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए।

जाफर सादिक और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विभिन्न संस्थाओं में 30 करोड़ से अधिक नकद जमा पाए गए। कथित तौर पर मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित इस नकदी को फाइनेंसरों का उपयोग करके जेएसएम पिक्चर्स के बैनर तले फिल्म निर्माण में लगाया गया था। तमिल फिल्म उद्योग में अभिनेताओं, निर्देशकों और सहायक कर्मचारियों को भी पर्याप्त नकद भुगतान किया गया था। इन भुगतानों का रिकॉर्ड एक्सेल शीट में रखा गया था। चैट और एक्सेल स्क्रीनशॉट सहित महत्वपूर्ण साक्ष्य, साथ ही प्रमुख व्यक्तियों के स्वीकारोक्ति, इन गतिविधियों की पुष्टि करते हैं।

जाफर सादिक अन्य व्यक्तियों और रिश्तेदारों के साथ विभिन्न फर्मों/संस्थाओं/कंपनियों का निदेशक/भागीदार/प्रोप रहा है, जिसका उपयोग पीओसी को चैनलाइज़ करने और परत चढाने के लिए किया गया है। इस पूरे सेट अप का उपयोग अवैध ड्रग तस्करी से अर्जित पीओसी का रास्ता निकाला गया था। 2 सितंबर, 2024 को, चेन्नई में ईडी ने जाफर सादिक और सहयोगियों से संबंधित 55.30 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया। इसमें 14 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जैसे कि जेएसएम रेजीडेंसी होटल

और एक शानदार बंगला, और जगुआर और मर्सिडीज जैसी 7 हाई-एंड गाड़ियां, जिन्हें आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से हासिल किया गया है।

ईडी, चेन्नई ने पहले **26.06.2024** को जाफर सादिक को गिरफ्तार किया था और **12.08.2024** को मोहम्मद सलीम को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए पीएमएलए, **2002** के तहत गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।